न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2015

अनवान :

1. रज्जाक मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद जाति तेली निवासी गांव अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. नेक मोहम्मद पुत्र श्री इस्माईल जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. निजामदीन पुत्र कुरडे खां जाति धोबी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मामदीन पुत्र श्री जुम्मे खां जाति तेली निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. मौलवी मकबूल पुत्र जीवण जाति काजी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/1. जाफर खां 1/2. रमजान खां पि0 मौलवी मकबूल जाति काजी सा0 अजीतपुरा हाल राजपुरा तहसील तारानगर जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादीगण

निर्णय **दिनांक :** 20.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अजीतपुरा में खाता सं0 497/496 में खसरा सं0 1390/811 तादादी 2.352 है0 बारानी कृषि भूमि खसरा सं0 1391/813 की 2.618 है0 कुल 4.970 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी मौलवी मकबूल के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि जामा मस्जिद की खातेदारी कृषि भूमि है जो वादीगण एवं मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों व नमाज अदा करने मस्जिद की देख रेख करने व मस्जिद की फायदे हेतु काश्त करने के लिए काम में आती रही है। प्रतिवादी मौलवी मकबूल मस्जिद की देख रेख करता रहा है।

प्रतिवादी ने मौलवी मस्जिद होने का नारायज फायदा उठाकर मस्जिद की जगह अपना नाम जमाबंदी में खातेदारी दर्ज करवा दिया। जबकि प्रतिवादी को मस्जिद की भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। मस्जिद की भूमि मौलवी के नाम कानूनी रूप से खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती। वादीगण को नई व पुरानी जमाबंदी लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी ने एएसओ साहब से साठगांठ कर भूमि मस्जिद की बजाय अपने नाम दर्ज करवा दी जिससे

वादीगण एवं ग्रामवासियों को नापूरा होने वाला नुकसान पहूंच रहा है। एएसओ साहब को मस्जिद की भूमि मौलवी के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

वादीगण उक्त वाद पत्र स्वयं अपने व ग्रामवासियों के फायदे के लिए पेशकर रहे है। प्रतिवादी का कृत्य न्यूसेंस की परिभाषा में आता है। वादीगण धारा 51 सीपीसी के अन्तर्गत न्यायालय की आज्ञा से वाद प्रस्तुत कर रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि गांव अजीतपुरा की खाता सं0 497/496 में खसरा नं0 1390/811 तादादी 2.352 है0 बारानी व खसरा सं0 1391/813 की 2.618 है0 कुल 4.970 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी मौलवी मकबूल के बजाय जामा मस्जिद की खातेदारी कृषि भूमि है ?

– वादी

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रज्जाक मोहम्मद, पीडब्ल्यु 2 नेक मोहम्मद, पीडब्ल्यु 3 इदू, पीडब्ल्यु 4 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रति जमाबन्दी ग्राम अजीतपुरा खाता सं0 497/496 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2029–38 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2037 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2046 प्रदर्श 5 व सत्यफोटो प्रतिलिपि जमबन्दी चक 10 बारानी खाता सं0 15/14 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 1, रिपोर्ट पटवारी हल्का रामगढिया प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादी ने न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2015(2) पेज सं0 1214 से 1218, आरआरटी 2013(1) पेज सं0 391 से 397 पेश किये व लिखित बहस पेश कर कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी मौलवी मकबूल के नाम खातेदारी दर्ज है। यह भूमि जामा मस्जिद की खातेदारी है जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों एवं नमाज अदा करने, मस्जिद की देख–रेख करने, मस्जिद के फायदे के लिए काश्त करने के काम आती रही है। मौलवी मकबूल की मस्जिद की देखरेख करता आ रहा था। मौलवी मकबूल ने गैर कानूनी तरीके से यह भूमि मस्जिद की बजाय अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली जो गैर कानूनी है। मस्जिद की भूमि मौलवी के नाम खातेदारी दर्ज नही हो सकती। वादीगण ने दावा खातेदारी के अधिकारों की बाबत पेश किया है। मौलवी मकबूल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिस रमजान व जाफर को पक्षकार बनाया गया जो बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। राज पेरोकार ने अपने जवाब दावा में मद सं0 3 में राजस्व रिकार्ड में मुताबिक दावा का सही होना स्वीकार किया है, बाकी अज्ञानता जाहिर की है।

सैटलमेंट के विभाग के एएसओ ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर माफी मस्जिद की भूमि को मौलवी मकबूल के नाम खातेदारी दर्ज किया है जबकि सैटलमेंट ऑफिसर को माफी मस्जिद के बजाए मौलवी मस्जिद के नाम खातेदारी दर्ज करने का

कोई अधिकार नहीं था। एएसओ को किसी भी सक्षम न्यायालय ने कोई भी आदेश नहीं दिया था।

∴ हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम अजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी में मौलवी मकबूल के नाम दर्ज भूमि को जामा मस्जिद के नाम दर्ज कर घोषणा करवाने एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में 1 तनकी कायम की गई है जिसका निर्णय इस प्रकार है :—

तनकी सं0 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 3 पेश की है उसमें वाद कृषि भूमि माफी मस्जिद के नाम से मौलवी मकबूल के नाम बहुक्म सैटलमेन्ट ऑफिसर के दर्ज हुई है व उसके बाद की जमाबन्दीयात में मौलवी मकबूल के नाम ही दर्ज चली आ रही है एंव वादीगण ने प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण **"आरआरटी 2015(2) पेज सं0 1214 से 1218"** में स्पष्ट किया गया है कि **"Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries."** पेज नं0 1216 व 1217 में पैरा नं0 7 अंकित किया गया है " विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू—प्रबन्ध विभाग के अधिकारी दौराने भू प्रबन्ध किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत नहीं है — 1998 आर.बी.जे. पृष्ठ 274 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि — **Settlememt Authorities cannot change the previous entries in revenue record. The Settlement Authorities are not competent to change the previous entries existed in the revenue record unless the changes occue under the orders of a competent authority.** 1998(5) आर.बी.जे. पृष्ठ 290 में यह अवधारित किया गया है कि— **Settlememt Authorities must repeat previous entries-unless change occured as a result of order of competent authority or succession of transfer or by a certified mutation order.**

1998(5) आर.बी.जे. पृष्ठ 610 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि— **During the settlement operations settlement authorities cannot change the revenue record without orders of the competent court.**

2001(8) आर.बी.जे. पृष्ठ 170 पर माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह निर्णीत किया है कि — **Settlememt Department must repeat the previous entries made in the revenue record.**

माननीय राजस्थान उच्च — न्यायालय की एकलपीठ ने 'इदान बनाम स्टेट' जो 2001(1) आरआरटी पृष्ठ 244 पर उद्धृत है उसमें यह अवधारित किया है कि — **Settlememt Department has no competence to change the kind of land, rights of tenure-holders & entries in revenue record-He has also no power to confer khatedari rights on any person-powers are limited to normal settlement operations.**

2003(10) आर.बी.जे. पृष्ठ 118 में भी यही अवधारित किया गया है कि — **Rajasthan land Revenue Act, 1956 Section 136-Settlement authorities have no power to delete the original entries and make new entries.**

माननीय राजस्व मण्डल ने ''गणपतलाल बनाम बिन्दू में जो 2010 आर.बी.जे. पृष्ठ 285 पर उद्धृत है यह निर्णीत यिका है कि–**Settlememt Department cannot change entries in the existing revenue record and the act of settlement Department in making division of holdings among the co-tenants is patently beyond its jurisdiction.**

आरआरटी 2013(1) **udailal v/s state of rajasthan** में पेज सं0 394 से 396 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने बिन्दु सं0 12 में राजस्व ग्रुप (6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प06(12)राज16/92/26 दिनांक 20.12.1995 की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया है कि भू–प्रबन्ध के दौरान हुई गलतियों को धारा 136लैण्ड रेवेन्यु एक्ट द्वारा सुधारने के आदेश किये गये है।

उपर्युक्त दोनों न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है, जिन गलतियों का शुद्धिकरण/दुरूस्तीकरण धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में किया जाता है उन गलतियों का दुरूस्तीकरण व रिकार्ड शुद्धिकरण धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमित वाद द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में साबित पायी जाती है।

हस्तगत प्रकरण में वाद भूमि सैटलमैन्ट से पूर्व माफी मस्जिद के नाम दर्ज थी दौराने सैटलमेन्ट ए.एस.ओ. द्वारा वादभूमि मौलवी मकबूल के नाम इन्द्राज की गई। सार्वजनिक हित की भूमि को बिना नियमित वाद सुनवाई के किसी निजी व्यक्ति के नाम खातेदारी अंकित नहीं किया जा सकता है। वादी के दावा के खण्डन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं हुआ जिससे उक्त इन्द्राजात किसी न्यायालय की डिक्री से किया जाना साबित होता है। उपर्युक्त विवेचना व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव अजीतपुरा के खाता सं0 497/496 में खसरा सं0 1390/811 तादादी 2.352 है0 बारानी कृषि भूमि, खसरा सं0 1391/813 की 2.618 है0 कुल 4.970 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी मौलवी मकबूल पुत्र जीवण कौम काजी की बजाय माफी मस्जिद बड़ी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। वाद भूमि को मौलवी मकबूल के बजाय माफी मस्जिद बड़ी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..20.6.18...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2015

अनवान :

1. रज्जाक मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद जाति तेली निवासी गांव अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. नेक मोहम्मद पुत्र श्री इस्माईल जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. निजामदीन पुत्र कुरडे खां जाति धोबी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मामदीन पुत्र श्री जुम्मे खां जाति तेली निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. मौलवी मकबूल पुत्र जीवण जाति काजी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/1. जाफर खां 1/2. रमजान खां पि0 मौलवी मकबूल जाति काजी सा0 अजीतपुरा हाल राजपुरा तहसील तारानगर जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव अजीतपुरा के खाता सं0 497/496 में खसरा सं0 1390/811 तादादी 2.352 है0 बारानी कृषि भूमि, खसरा सं0 1391/813 की 2.618 है0 कुल 4.970 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी मौलवी मकबूल पुत्र जीवण कौम काजी की बजाय माफी मस्जिद बड़ी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। वाद भूमि को मौलवी मकबूल के बजाय माफी मस्जिद बड़ी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़